न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 162/2020 (GCMS No. 2020/00162) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. जगमोहन पुत्र बुद्धू जाति जाटव निवासी कैलादेवी तहसील व जिला करौली (फौत)

1/1 यशवेन्द्र आयु 19 साल
1/2 पुष्पलता आयु 30 साल
1/3 अर्चना आयु 28 साल
1/4 प्रियंका आयु 26 साल
1/5 अंजू आयु 24 साल
1/6 शोभा आयु 22 साल
1/7 रेशमा आयु 20 साल

} पुत्र –पुत्रियान स्व0 जगमोहन जाटव

1/8 विशाल आयु 15 साल नाबालिग जरिये वली कुदरती माता गुलाब बाई पत्नि स्व. जगमोहन।

2. रामनारायण पुत्र मांगीलाल उम्र 47 साल जाति जाटव निवासी कैलादेवी तहसील व जिला करौली।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार करौली दिनांक 09.12.2013 मि.नं. 501/13 उनवान सरकार बनाम जगमोहन एवं आदेश जिला कलक्टर करौली दिनांक 19.06.2019 मुकदमा नं. 47/14 उनवानी जगमोहन बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री रामजीलाल अग्रवासल वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नि र्ण य **दिनांक : 17.07.2023**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 19.06.2019 एवं तहसीलदार करौली के आदेश दिनांक 09.12.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित जमीन पर अपीलान्ट अपने पिता के समय से यानि 1987 से पूर्व काबिज है और अपीलान्ट के नाम से जल, बिजली लगे हुये हैं। अपीलान्ट की ओर से दिनांक 28.07.2008 को विवादित जमीन बावत् कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन करने के लिए पत्रावली लगा रखी है। जिसका सन् 1992 में प्रार्थी के पिता मांगीलाल के द्वारा 7200/– रूपये जरिये चालान सं. 4 जमा कराये जा चुके हैं। उसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली द्वारा खसरा नम्बर 2865/1 रकवा 0.01 विस्वा सिवायचक वांके ग्राम कैलादेवी पर दुकान का निर्माण करने का अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित कर शास्ती लगान का 50 गुणा 2 रूपये लगाकर दण्डित किया गया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर करौली को अपील पेश की, जिसे दिनांक 19.06.2019 को खारिज कर दिया गया। जिनके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सही मूल्यांकन ना करके अपील अपीलान्ट खारिज करने में भूल की है। विवादित जमीन पर अपीलान्ट अपने पिता के समय यानि 1987 से पूर्व से काबिज हैं अपीलान्ट मय परिवार स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं। जिस पर दुकान बनी हुई है और अपीलान्ट के नाम नल, बिजली लगे हुये हैं। न्यायालय ए.डी.जे. साहब करौली के निर्णय दिनांक 12.09.2011 के निर्णय के विपरीत केवल प्रिन्टेड फार्म पर निर्णय पारित किया है जो गुणावगुण के आधार पर नहीं है। अपीलान्ट की ओर से दिनांक 28.07.2008 को विवादित जमीन बावत् कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन करने के लिए पत्रावली प्रस्तुत की जा चुकी है। उसका कोई विवरण हर दो अदालत में विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की ओर से सन 1992 में प्रार्थी के पिता मांगीलाल के द्वारा 7200/–रूपये जरिये चालान सं. 4 जमा कराये जा चुके हैं इन तथ्यों को अदालत हर दो ने अपने निर्णय में कोई जिक्र नहीं

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

किया। प्रार्थीगण के हक में विवादित जमीन का तहसीलदार करौली ने उपजिला कलक्टर करौली के यहॉ नियमन हेतु भिजवाने बावत् कोई अपनी राय प्रकट नहीं की है और न ही राशि को आज तक लौटाया है। प्रार्थी अनुसूचित जाति के सदस्य है। प्रार्थीगण की आजीविका का यही एकमात्र साधन है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार विवादित जमीन प्रार्थीगण के हक में नियमन के काबिल है। अपीलान्ट अपनी गृहस्थी का पालन पोषण विवादित जमीन पर बनी दुकान से कर रहा है। प्रार्थी राजस्थान सरकार के आदेशानुसार बकाया राशि जमा कराने को तैयार है। प्रथम अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.07.2019 को होने पर उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 08.07.2019 को प्राप्त होने पर वकील द्वारा दिनांक 23.07.2019 को सूचना मिलने पर शीघ्र ही अपील प्रस्तुत की जा रही है। दिनांक 08.07.2019 से 26.09.2019 तक अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करके अपील मियाद में शुमार की जावे। इस संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय हर दो अदालत निरस्त किये जावें।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 19.06.2019 के विरूद्ध दिनांक 26.09.2019 को द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में पेश की है। अपील के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आधार पर्याप्त होने के कारण अपील में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अपीलान्ट ने अपने पिता के समय से ही यानि 1987 से पूर्व से ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट ने उक्त विवादित आराजी के नियमन बावत् पत्रावली प्रस्तुत की है। जरिये चालान राशि भी 1992 में अपीलान्ट के पिता द्वारा जमा कराई जा चुकी है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट के हक में नियमन आदेश दिये जाने चाहिए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में नियमन संबंधी कोई भी विवेचना नहीं की है। अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में ऐसा कोई दस्तावेज पेश

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नहीं किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि इनके द्वारा विवादित राजकीय आराजी पर कोई अतिक्रमण न किया हो। जहॉ तक नियमन पत्रावली के लम्बित रहने से राजकीय भूमि पर अपीलान्ट का कोई अधिकार नहीं बन जाता। राजकीय भूमि पर बिना नियमन के दुकान निर्माण किया जाना अतिक्रमण की श्रेणी में ही आता है। अपीलान्ट द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट्रेक संख्या –1 करौली के निर्णय व डिक्री में भी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलान्ट को बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील गुणावगुण पर खारिज की है। न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली का आदेश दिनांक 09.12.2013 एवं जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 19.06.2019 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.07.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर